

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक— / पटना, दिनांक—
06 / पणन (सं.)—67 / 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- राज्य में खरीफ विपणन मौसम, 2025-26 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष, 2026-27 में प्रबंधकीय अनुदान मद से रु0 37,96,75,141/- (सैंतीस करोड़ छियानबे लाख पचहत्तर हजार एक सौ इकतालीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य में किसानों की उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की स्वीकृति संसूचित है।

2. निदेशालय प्रभाग के गै0स0प्रे0स0-644 दिनांक-10.06.2026 के आलोक में खरीफ विपणन मौसम, 2025-26 में 3678954.881 मे0टन अधिप्राप्त धान के विरुद्ध दिनांक-31.05.2026 तक 1898375.706 मे0टन राज्य खाद्य निगम को की गई चावल की आपूर्ति के उपरांत अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्सों/व्यापारमंडलों को 20 रु0 प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान मद में रु0 37,96,75,141/- (सैंतीस करोड़ छियानबे लाख पचहत्तर हजार एक सौ इकतालीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त बजट उपबंध अन्तर्गत रु0 31,89,27,141/- की राशि मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107-क्रेडिट सहकारी समितियाँ को सहायता, उपशीर्ष-0106-अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-09-2425001070106 एवं रु0 6,07,48,000/- की राशि मांग संख्या-09 मुख्यशीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायक अनुदान, विषय शीर्ष-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-09-2425007890101 से विकलनीय होगी।

4. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जाएगा। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप-आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा जो इस राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Grants-in-Aid Bill के अन्तर्गत विपत्र के माध्यम से संबंधित कोषागार से की जायेगी। विभागीय संकल्प संख्या-3096 दिनांक-26.10.2021 में वर्णित प्रावधानुसार अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापारमंडलों को संबंधित जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) में Payee Create करते हुए भुगतान किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय संकल्प संख्या-2881 दिनांक-12.10.2023 एवं 776 दिनांक-15.03.2024 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पैक्स/व्यापारमंडलों को भुगतान करेंगे।
6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2219 दिनांक-08.04.2020 के कंडिका-3 (ii) में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. अंकैक्षण हेतु सभी अभिलेख सभी संबंधित स्तरों पर संधारित रहेगा।
12. प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जवाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निदेश संसूचित करेंगे।
13. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.03.2024 में मद संख्या-51 के रूप में (संचिका संख्या-04/नि.अधि.(कैश-क्रेडिट) प्रबंधकीय अनुदान-09/2022, पृ0-60/टि.) स्वीकृति प्रदान की गयी है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि.(2) दिनांक-16.05.13 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
15. उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र 18 माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
16. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति संचिका संख्या- 06/पणन(स.)-67/2026 के पृ0 संख्या-13/टि0 पर दिनांक-17.06.2026 को दी गई है।
17. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या- 06/पणन(स.)-67/2026 के पृ0 संख्या-14/टि0 पर दिनांक-19.06.2026 को प्राप्त है।

ह0/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 186/पटना, दिनांक 22/06/26
06/पणन (सं.)-67/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग के निजी सहायक, बिहार, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना/उप सचिव (प्रभारी उपयोगिता प्रमाण पत्र), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी-3 (बजट), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक (2 प्रतियों में), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना तथा कार्यवाह सहायक को 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आईटी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को मुहरबंद लिफाफे में।

1
22/06/26

सरकार के अपर सचिव।